

## अधिसूचना 12

### स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन ,एन एच बै-पास, पी बी नं:2277

पालारिवट्टम पी ओ.,कोच्ची - 682025

वेबसाइट :<http://www.indianspices.com>

निम्न लिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है ह:

[नोट: "सरकार एक ऐसे कार्यबल की भरसक कोशिश करती है जो लिंग-संतुलन प्रतिबिंबित करता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।"]

### निदेशक (विपणन)

पदों की संख्या	1(एक)
श्रेणी	अनारक्षित
योग्यताएँ	
अ) अनिवार्य	1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी की स्नातक की उपाधि। 2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि / विपणन / विदेश व्यापार में विशिष्टीकरण के साथ बिसिनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 3) विपणन/विपणि अनुसंधान/संचालन/व्यापार सूचना/निर्यात संवर्धन/विदेश व्यापार में प्रबन्धक के स्तर पर दस वर्ष का अनुभव
आ) वांछनीय	बागवानी फसलों/मसालों के निर्यात में अनुभव
तैनाती का स्थान	भारत में कहीं भी
आयु	1 नवंबर 2016 को 45 साल से अधिक न हो
वेतनमान	पी बी 3- रु. 15600-39100 + जीपी रु. 7600

**आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका :** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं/भूत पूर्व सैनिकों/अपंगता वाले उम्मीदवारों (पी डब्ल्यू डी) को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हैं और दूसरों के लिए 400/-रु। शुल्क अप्रतिदेय है।

आवेदन शुल्क का भुगतान मात्र सचिव, स्पाइसेस बोर्ड नाम पर कोच्ची, केरल में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाना है ।

**चयन का तरीका :** चयन प्रक्रिया बहु चरणों में हो सकती है जिसके अंतर्गत सामूहिक चर्चाएं और/या प्रस्तुतियां और /या साक्षात्कार हों ।

**आयु में ढील निम्नानुसार होगी :**

1. 40% शारीरिक अपंगता वाले उम्मीदवारों को आयु में 10 साल की और बढ़ती ढील दी जाएगी।
2. वे सभी उम्मीदवार , जो 01/01/80 से 31/12/89 तक की अवधि के दौरान मूल रूप से जम्मू व कश्मीर के निवासी थे, उच्च आयु सीमा में 5 साल की ढील पाने योग्य होंगे।

**साक्षात्कार केंद्र : कोचिन**

उत्तर पूर्व तथा सिक्किम क्षेत्र के रहने वाले उम्मीदवार ऑन-लाइन तथा ऑफ-लाइन दोनों तरीके से आवेदन भेज सकते हैं। भारत के दूसरे क्षेत्रों के उम्मीदवार रिक्ति के लिए आवेदन केवल ऑन-लाइन तरीके से करें।

ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने का वेबलिनक निम्नानुसार है:

[http://112.133.204.82/sb\\_application\\_nov\\_2016/](http://112.133.204.82/sb_application_nov_2016/)

ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के इच्छुक उत्तर पूर्व/सिक्किम क्षेत्र के निवासी उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:-

<http://indianspices.com/sites/default/files/applicationformat.pdf>

**ऑन-लाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15-12-2016 है।**

उम्मीदवारों से (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के स्पीती जिला और चंबा जिले का पांगी उप-संभाग, आंन्डमान व निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के निवासी उम्मीदवारों को छोड़कर) आवेदन(नों) की हार्ड-कोपी डाक द्वारा स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **31-12-2016** है।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाक संभाग, हिमाचल प्रदेश का स्पीती जिला और चंबा जिले का पांगी उप-संभाग, आंन्डमान व निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन(नों) की हार्ड कोपी डाक द्वारा स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **15-01-2017** है।

उम्मीदवार अपना आवेदन लिफाफे में, जिसके ऊपर "निदेशक (विपणन) के पद के लिए आवेदन" लिखा गया हो, (ऑनलाइन प्रस्तुति के मामले में उम्मीदवार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित आवेदन का प्रिंट आउट), संगत समर्थक दस्तावेज़(शैक्षिक योग्यताएं, आयु का प्रमाण, अनुभव आदि से संबंधित), डिमांड ड्राफ्ट और जाति प्रमाणपत्र की प्रति **सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवड़म पी.ओ., कोच्ची -682025, केरल** के पते पर भेजें।

**उपरोक्त पद के लिए भर्ती प्रक्रिया की तारीख जल्दी सूचित की जाएगी।**

**दिनांक: 04-11-2016**

**कोच्ची**

**सचिव**

नोट :

अ.जा. - अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. - अनुसूचित जन जाति, अ.पि.व.- अन्य पिछड़े वर्ग, पी डब्ल्यू डी - अपंगता वाले व्यक्ति

### **उम्मीदवारों के लिए सूचना**

1. बिना समर्थक दस्तावेजों/डिमांड ड्राफ्ट के आवेदनों अथवा निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदन करने के पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उस पद के लिए पात्रता मानदंड रखते हैं।
3. उम्मीदवारों को बुलावा पत्र/साक्षात्कार पत्र आदि की सूचना पाने हेतु अपनी इ-मेल आई डी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है।
4. अपनी पहचान, आयु, पता, योग्यता, अनुभव, समुदाय, विशेष श्रेणी आदि को साबित करने के लिए उम्मीदवारों को, जब कभी भी बुलाया जाय, मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करनी होंगी।
5. चयन की किसी भी अवस्था में किसी उम्मीदवार के पात्रता मानदंडों को पूरा न करने और/या उसके द्वारा किसी गलत/झूठी सूचना प्रस्तुत किए जाने या किसी वास्तविक तथ्य(तथ्यों) को छिपाने का पता लगने के मामले में उसकी उम्मीदवारी रद्द हुई मानी जाएगी। यदि इन कमियों से किसी का पता नियुक्ति के बाद में भी लग जाता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

6. पात्रता, भर्ती प्रक्रिया और चयन से संबन्धित सभी मामलों में मसाला बोर्ड के निर्णय अंतिम होंगे और ये सभी उम्मीदवारों पर लागू होंगे। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
7. इस रिक्ति अधिसूचना एवं/या इसकी प्रतिक्रिया बतौर प्राप्त आवेदन, भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न दावा या विवाद के मामले में कानूनी कार्रवाई केवल कोच्ची में ही चलाई जाएगी और केवल कोच्ची की अदालत में ही किसी भी मुकदमा/विवाद पर विचार करने का एकल और अनन्यतः न्यायाधिकार होगा।
8. किसी भी प्रकार का अनुयाचन अयोग्यता होगी।
9. एक बार चुकाया(ये) गया(ये) आवेदन शुल्क किसी भी हालत में वापस नहीं दिया(ये) जाएगा(जाएँगे) या किसी अन्य आवेदन के लिए आरक्षित नहीं रखा जाएगा(रखे जाएँगे)।
10. आयु, शैक्षिक योग्यताएँ, अनुभव आदि के संबंध में नए आवेदकों की पात्रता 01-11-2016 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। किसी भी विद्याशाखा /क्षेत्र में अनुभव की अवधि की, जहां कहीं निर्धारित है, संबन्धित पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने की तारीख के बाद ही गणना की जाएगी।
11. अगर किसी मामले में आवेदक को निर्धारित योग्यता के लिए अपेक्षित श्रेणी या % अंक या सी जी पी ए/ ओ जी पी ए नहीं है , तो (उसी विद्याशाखा पर) उच्च स्तर की योग्यता में प्राप्त श्रेणी या % अंक या सी जी पी ए/ ओ जी पी ए पर, यदि है तो, विचार किया जाएगा, अगर वह आवश्यकता की पूर्ति करती हो।
12. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख में बदलाव (यदि कोई हो), संघ चर्चाओं/प्रस्तुतियों/साक्षात्कारों की तिथि व स्थान और परिणाम आदि से संबन्धित सूचना बोर्ड के वेबसाइट [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com) में प्रकाशित की जाएगी। अधिक जानकारी एवं अद्यतन सूचना के लिए आवेदकों को नियमित रूप से [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com) देखने की सलाह दी जाती है।
13. सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदकों को अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना चाहिए और चयन के अंतिम चरण के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र(एन ओ सी ) अनिवार्यतः प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उम्मीदवार अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. जहां कहीं भी उपाधि में सी जी पी ए/ ओ जी पी ए प्रदान किए जाते हैं, उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों का तत्तुल्य प्रतिशत सूचित करते हुए कागजात प्रस्तुत करने होंगे।
15. चुने गए उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
16. स्पाइसेस बोर्ड, यदि ज़रूरी है तो, इसके पश्चात् बिना कोई सूचना जारी किए या बिना कोई कारण बताए, भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/परिवर्तित/प्रतिबंधित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार रखता है। मैनेजमेंट का निर्णय अंतिम होगा और इस मामले में कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी।

17. आवेदन प्रस्तुति आदि से संबन्धित सभी प्रश्नों/मामलों को इ-मेल : [spicesboardrecruitment@gmail.com](mailto:spicesboardrecruitment@gmail.com) के ज़रिए सचिव, मसाला बोर्ड को भेजा जाना है।
18. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों को आने-जाने के लिए सबसे कम दूरी के स्लीपर क्लास रेल/बस किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों से संघ चर्चाओं/प्रस्तुतियों/साक्षात्कारों में उपस्थित होने के लिए बैंक विवरण(बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई एफ एस सी कोड), जाति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति तथा टिकट की स्कैन की हुई प्रति सहित अपना यात्रा दावा [spicesboardrecruitment@gmail.com](mailto:spicesboardrecruitment@gmail.com) में इ-मेल करने का अनुरोध किया जाता है। प्रतिपूर्ति से संबन्धित इ-मेल 'सचिव, मसाला बोर्ड' के पते पर भेजें। इस दावे के लिए कार्यालय को कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है।
19. अपाहिज (पी एच )या अपंगता वाले व्यक्ति अधिसूचित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यद्यपि पद उन के लिए आरक्षित नहीं है। फिर भी ऐसे पदों पर चयन हेतु इन उम्मीदवारों के सामान्य मानक पर ही विचार किया जाएगा। नियमों के अधीन अनुमेय आरक्षण और अन्य ढील से फायदा उठाने के लिए वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे, जिनकी संगत अपंगता 40% से कम न हो।

-----